न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

मोहनलाल बनाम निशा वगै0

किस्म मुकदमा:— 225/कोटा   मिसल नं0 2025/270

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो किस हुक्म की तारीख में जारी हुये
23/07/2025	विद्वान अधिवक्ता अपीलांट श्री अशोक गुप्ता द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 62/2025 में पारित निर्णय दिनांक 17.06.2025 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया है। विद्वान अधिवक्ता श्री रघुवीर सिंह राठौड़ ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से केविएट प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया गया है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट व विद्वान अधिवक्ता केविएटकर्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की बहस स्थगन प्रार्थना—पत्र पर अंतरिम स्थगन हेतु सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम नयाखेड़ा तहसील लाडपुरा की आराजी खसरा नम्बर 159 रकबा 0.23 हैक्टेयर में अपीलांट का 1/7 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। कानूनन किसी भी खातेदार कृषक के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती और ना ही खातेदार को उसकी आराजी के उपयोग उपभोग से वंचित किया जा सकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.06.2025 को अपीलांटगण को सुने बिना ही अपीलांटगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का जो आदेश पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्टगण द्वारा मोके पर किए जा रहे अवैध निर्माण को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रश्नगत आदेश दिनांक 17.06.2025 पारित किया है। अपीलांटगण के पिता द्वारा अपंजीकृत दस्तावेज से रेस्पोडेन्टगण को भूमि विकय नहीं की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 8 व 9 द्वारा मोके पर निमार्ण कार्य करवाया जा रहा है जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि रेस्पोडेन्टगण	

वादग्रस्त आराजी पर निर्माण करके वादग्रस्त आराजी को खुर्द–बुर्द कर देते है तो अपीलांटगण का अपील पेश करना ही निरर्थक हो जाएगा। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.06.2025 निरस्त किया जाना आवश्यक है। अन्त में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.06.2025 की पालना अन्तरिम रूप से स्थगित किए जाने तथा मोके पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं किए जाने बाबत रेस्पोडेन्टगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता केविएटकर्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांटगण के पिता द्वारा वादग्रस्त आराजी को पूर्व में ही बेचान किया जा चुका है। अपीलांटगण का वादग्रस्त आराजी पर कोई हक अधिकार नहीं है तथा अपीलांटगण का वादग्रस्त आराजी के मोके पर कब्जा काश्त भी नहीं है। अपीलांटगण ने स्थगन प्रार्थना–पत्र में झूठे व मनगढ़न्त कथन अंकित किए है। प्रश्नगत अपील अंतरिम आदेश की अपील है जो न्यायालय हाजा में पोषणीय नहीं है। अतः अपीलांट को न्यायालय हाजा में प्रश्नगत आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्टगण का कब्जा है। वादग्रस्त आराजी अपीलांटगण के पिता द्वारा पूर्व में ही बेचान की जा चुकी है तथा अपीलांटगण वादग्रस्त आराजी को स्वयं के नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर वादग्रस्त आराजी को बेचान व खुर्द बुर्द करने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। यदि अपीलांटगण अपने कृत्य में सफल हो गये तो रेस्पोडेन्टगण के वादग्रस्त आराजी में निहित हक अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा तथा रेस्पोडेन्टगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं हो सकेगा। अतः अपीलांटगण को वादग्रस्त भूमि के रहन, बेचान एवं किसी प्रकार से अंतरण नहीं करने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी के मोके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने का जो आदेश दिनांक 17.06.2025 को पारित किया गया है वह विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.06.2025 विधि

सम्मत होने से इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अन्त में अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत अन्तरिम स्थगन की प्रार्थना को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 17.06.2025 का है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 17.06.2025 की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 17.06.2025 में प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 4 अपीलांटगण के विरूद्ध विवादित आराजी के मोके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का आदेश अंकित है तथा प्रकरण में आगामी पेशी 04.07.2015 नियत है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण नहीं हुआ है तथा प्रकरण वर्तमान में अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। प्रश्नगत आदेश दिनांक 17.06.2025 अंतरिम प्रकृति का आदेश है तथा प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण होना शेष है। अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय में विधिक प्रक्रिया के तहत जवाब प्रस्तुत करके वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकते है, अतः ऐसी स्थिति में अपील के वर्तमान स्तर पर प्रश्नगत प्रकरण मे गुणावगुण पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। अपीलांटगण का कथन है कि वादग्रस्त आराजी अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्टगण के संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा रेस्पोडेन्टगण द्वारा वादग्रस्त आराजी का विभाजन करवाये बिना ही वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्टगण द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 की फोटोप्रति पेश की गई है जिसके अनुसार अतः वादग्रस्त आराजी का उभयपक्षकारान की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट का कथन है कि वादग्रस्त आराजी गोपाल आत्मज गोविन्दा के खाते दर्ज रही है तथा गोपाल द्वारा अपने जीवनकाल में ही वादग्रस्त आराजी को बेचान किया जा चुका है अतः अपीलांटगण को गोपाल की पुत्री छोटीबाई के वारिसान की हैसियत से गोपाल के खाते की प्रश्नगत

बेचानशुदा आराजी पर कोई हक अधिकार नहीं है। अपने कथनों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा तीन पृथक–पृथक नोटेरीशुदा इकरारनामा की फोटोप्रतियॉ पेश की है जिनमें गोपाल आत्मज गोविन्दा द्वारा प्रश्नगत खसरा नम्बर 159 रकबा 0.23 हैक्टेयर भूमि के कुछ भू–भाग को बेचान किए जाने एवं कब्जा सुपुर्द किए जाने का अंकन है। उभयपक्षकारान के वादग्रस्त आराजी पर हक अधिकारों को लेकर अपने–अपने तर्क है। हमारे मत में हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी के सम्बंध में उभयपक्षकारान के मध्य हक अधिकारों को लेकर महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न अन्तर्निहित है तथा वादग्रस्त आराजी के सम्बंध में मूलवाद अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हक अधिकारों का निर्धारण मूलवाद के अंतिम निस्तारण का विषय है। वादग्रस्त आराजी उभयपक्षकारान की सहखातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है अतः उभयपक्षकारान को अस्थाई वादग्रस्त आराजी के मोके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित है ताकि वाद बहुलता नहीं बढ़े तथा प्रकरण को अधिक जटिल होने से रोका जा सके। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 17.06.2025 में केवल अपीलांटगण प्रतिपक्षीगण को वादग्रस्त आराजी के मोके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है जबकि वादग्रस्त आराजी उभयपक्षकारान की सहखातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.06.2025 में आंशिक संशोधन किया जाकर उभयपक्षकारान को वादग्रस्त आराजी के मोके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट एडमिशन स्तर पर आंशिक रूप से स्वीकार जाती है। उभयपक्षकारान को इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे आज दिनांक 23.07.2025 से अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतिम निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम नयाखेड़ा

	तहसील लाडपुरा की खसरा नम्बर 159 रकबा 0.23 हैक्टेयर के मोके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश के संज्ञान में आने के उपरांत 30 दिवस के भीतर उभयपक्षकारान को सुनकर, सी.पी.सी. के आदेश 39 नियम 3 की पालना करते हुए प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण करें। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो तथा फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 23.07.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। 23/7/25 (मुरलीधर प्रतिहार) राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	